NV कार्यालय जिला कलवटर, नागौर

1 2 NOV 201

जयपुर विनाक : 4-11-11

कमाकः प.९(15)राज. / ग्रूप- 1 / 09 / पार्ट

- अधिस्थिनाः -

राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम, 4056 (1056 का अधिनियम:15) की धारा 16, के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर की तहसील डीडवाना के मूल राजस्य ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या--6 में अंकिल मजरों / ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कूल देह में से कम होकर कालग संख्या-8 के अनुसार होगा:-

) de ,	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राग का नाम	ग्रा जनर क्षेत्रफर	राजस्व मंकी गरध्या / मं (हैक्टर में)	प्रस्तावित राजस्य ग्राम का साम	प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टर भें)		चूरी किंग्मी गें	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टर में)	1/
			जन - संख्या	क्षेत्रफल		जन संख्या	क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	नागौर / डीडवाना	डाकीपुरा	1211	837.97	ग्रीमथलिया	446	191.52	2	646.45	~
2.	नागौर/ डीडवाना	जेतपुरा	81,1	611.21	त्रेजासर	329	234.02	3	377.19	Y

नेवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की घारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलक्टर विभागीय परिपन्न कमांक प.9(16)राज-1 💢 7 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव